न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या–03 / 2019–20

बबीता कुमारी बनाम राज्य एवं मोनी कुमारी

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

7-02-20

आदेश

प्रस्तुत अपील बबीता कुमारी, पति विजय पासवान, ग्राम–एरई बेनीपुर, थाना–दनियावां, पटना द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार, पटना के आंगनबाड़ी वाद सं0 55 / 2018 मोनी कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक–30.05.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध आंगनबाड़ी मार्गदर्शिका / सहायिका–2016 के धारा–13 के अंतर्गत अपील प्राप्त हुआ है।

अभिलेख का अवलोकन किया। दिनांक–27.07.2019 को अपीलकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के C.W.J.C 14678/2019 बबीता कुमारी बनाम राज्य एवं मोनी कुमारी में दिनांक–24.07.2019 को आदेश पारित किया गया है :–

24.07.2019 "In any view of the matter, since the challenge is to the order of cancellation of an appointment which had taken place under the 2016 Rules, the District Magistrate is the second appellate authority.

The District Magistrate, Patna (Respondent No. 5) is directed to dispose off the appeal referred to above, within a period of three months from the date of production/communication of a copy of this order. Should the District Magistrate, after examining the records, find that the matter is required to be decided by the Divisional Commissioner, he may transmit the records of the case to the office of the concerned Divisional Commissioner or direct the petitioner to approach the Divisional Commissioner for the needful.

The aforesaid directions have been given only keeping in mind that the process should not be kept pending unnecessarily.

With the aforesaid observation / direction, this petition stands disposed off."

दिनांक–15.11.2019 को अपीलकर्ता के अधिवक्ता को सुनकर वाद प्रतिग्रहित किया गया। विपक्षी पर नोटिस निर्गत करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी खुशरूपुर पटना से चयन संबंधि अभिलेख की मांग की गई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खुशरूपुर द्वारा पत्र सं0 27 दिनांक–15.01.2020 से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। साथ हीं विपक्षी मोनी कुमारी द्वारा वकालतनामा सहित प्रत्युत्तर दाखिल किया गया।

अपीलकर्ता का कथन है कि केन्द्र सं0 97 अलावलपुर पंचायत खुशरूपुर दिनांक–10.01.2018 को सेविका पद चयन हेतु महिला पर्यवेक्षिका, खुशरूपुर द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र सं0 97 पचांयत अलावलपुर द्वारा अपीलार्थी बबीता कुमारी को चयन किया गया। उस समय से अपीलार्थी कार्य करने लगी। मोनी कुमारी द्वारा चयन प्रक्रिया के विरूद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के न्यायालय में वाद दाखिल किया गया। जिसका वाद सं0 55 / 18 है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना द्वारा वाद सं0 55 / 18 में दिनांक–30.05.2019 को पारित आदेश में उल्लेख किया है कि अपीलार्थी के सास सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता हैं। इसी कारण अपीलार्थी को सेविका पद से चयन मुक्त कर दिया गया। जबकि

अपीलार्थी परिवार से अलग रहती है। आंगनबाड़ी चयन मार्गदर्शिका–2016 में प्रावधान है कि परिवार से अलग रहने पर खाली पद पर चयन किया जा सकता है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पटना द्वारा इस नियम को अनदेखी की गई। विपक्षी मोनी कुमारी थाना कांड सं0 01/16 में अभियुक्त है और आरोप–पत्र समर्पित है। अपीलार्थी का मेघा सूची के क्रमांक 01 है एवं मोनी कुमारी का 04 है। इस प्रकार मोनी कुमारी का चयन गलत हुआ है। अंत में अपीलार्थी द्वारा वाद को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी मोनी कुमारी, पति जितेन्द्र कुमारी, ग्राम–एरई बेनीपुर दनियावां, पटना की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया।

विपक्षी का कथन है कि अपीलार्थी का अपील पोषनीय नहीं है एवं खारिज करने योग्य है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के आंगनबाड़ी वाद सं0 55/18 मोनी कुमारी बनाम राज्य वगैरह में दिनांक–30.05.2019 को पारित आदेश नियमानुकूल एवं विधिसम्मत है।

विपक्षी का यह भी कहना है कि अपीलार्थी बबीता कुमारी, पति विजय पासवान, ग्राम+पो0–एरई बेनीपुर, वार्ड सं0 03, थाना–दनियावां, परियोजना खुशरूपुर पटना केन्द्र सं0 97 पर आंगनबाड़ी सेविका पद पर आंगनबाड़ी मार्गदर्शिका–16 के अनदेखी करते हेतु आम सभा से दिनांक–10.01.2018 को चयन किया गया। इसके बाद विपक्षी मोनी कुमारी द्वारा इस चयन के विरूद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया है। जिसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी बबीता कुमारी के चयन को रद्द करते हुए, विपक्षी मोनी कुमारी को चयनित करने हेतु निदेशित किया गया है। क्योंकि अपीलकर्ता के सास सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली बिक्रेता हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय आदेश को सम्पुष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख का परिशीलन किया। उभय पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकनोपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलार्थी (बबीता कुमारी) की सास सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली बिक्रेता हैं जिस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खुशरूपुर पटना के पत्रांक–27 दिनांक–15.01.2020 से अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सम्पति के बंटवारा होने पर सास–बहु की रिश्ता समाप्त नहीं होता है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के आंगनबाड़ी वाद सं0 55/2018 में पारित आदेश उचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

1/2/20

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

1/2/20

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।